

(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 02.07.2025 का कार्यवृत्त

मैसर्स चैतन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी - प्लॉट नं. 1 की मैसनरी स्टोन कलस्टर खनन परियोजना क्षेत्र - 1.00 है० (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता-66903 टीपीए (आरओएम), कलस्टर क्षेत्र-13.1647 है० ग्राम सलेमपुर के पास, तहसील-सपोटरा, जिला-करौली (राजस्थान) में स्थित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोक सुनवाई पूर्व में दिनांक 10.06.2025 को प्रस्तावित थी जो कि कार्यालय जिला कलेक्टर करौली के पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा पंचायत समिति, सपोटरा में दिनांक 10.06.2025 को प्रधान एवं उप प्रधान का चुनाव नियत होने के कारण स्थगित कर 02 जुलाई 2025 को प्रातः 11:00 बजे "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र", ग्राम-सलेमपुर, तहसील-सपोटरा, जिला-करौली, में श्री प्रेमराज मीणा, उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, जिला करौली एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 27 लोग उपस्थित रहे, उपस्थित सदस्यों की सूची "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है।

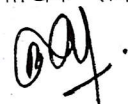
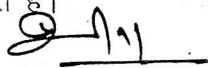
जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र करौली जिले के राजस्थान पत्रिका एवं राष्ट्रदूत के संस्करण में दिनांक 13.06.2025 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 01.07.2025 को ग्राम - सलेमपुर एवं ग्राम पंचायत - सलेमपुर में करवा दी गई है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, ने उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, जिला-करौली एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए बैठक में उपस्थित सभी जन से मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां एवं सुझाव/राय देने हेतु अनुरोध किया तथा पर्यावरणीय सलाहकार से खनन परियोजना की रूप रेखा से सभी को अवगत कराने बाबत आमन्त्रित किया।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार चिटू बैरवा ने खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर) आदि के बारे में पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन के दौरान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से जानकारी चाही गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल 25 मजदूरों को ही मास्क इत्यादि कि व्यवस्था की गई है एवं शेष मजदूरों के लिए क्या प्रावधान है जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त खनन परियोजना में वर्तमान में केवल 25 मजदूरों की ही आवश्यकता रहेगी इसलिए इतनी संख्या में ही मजदूरों को मास्क एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है एवं मजदूरों की संख्या बढ़ने पर उनको भी समान सुविधाएं मुहैया करायी जाएगी।

इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी ग्राम वासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित इस जनसुनवाई में आपको इस परियोजना के आने से इस क्षेत्र में सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभाव के बारे में आपको पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन की सहायता से विस्तार से बताया गया है। इस परियोजना से संबंधित कोई आपत्ति या सुझाव को आप इस जनसुनवाई के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप में दर्ज करा सकते हैं।



जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी/ जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र
मैसर्स चैतन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी - प्लॉट नं. 1 की मैसनरी स्टोन कलस्टर खनन परियोजना
क्षेत्र - 1.00 है० (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता-66903 टीपीए (आरओएम), कलस्टर क्षेत्र-13.
1647 है० ग्राम सलेमपुर के पास, तहसील-सपोटरा, जिला-करौली (राजस्थान) में स्थित
परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.07.2025 को आयोजित जनसुनवाई की
बैठक।

स्थान : जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत- सलेमपुर, "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र"
सलेमपुर, तहसील- सपोटरा, जिला-करौली।

दिनांक : 02.07.2025

समय : प्रातः 11.00 बजे

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	कार्यालय/ग्राम	हस्ताक्षर
1.	Pran Ps meena	SDM, Sapotra	22/7
2.	Baljeet Meena	RO, RSPCB, Samaimadpur @ay.	
3.	/	/	/
4.	/	/	/
5.	RAJ KUMAR LINGAR	RSPCB, JEE	8209010515 RAB
6.	Sunil Kumar Bunsal	AAO SDM off Sapotra	9460861464 SB
7.	आमिष कश्यप	प्रशासक	आमिष
8.	अशोक लाल	सलेमपुर	अशोक
9.	हरनाज	सलेमपुर	हरनाज
10.	श्री० आवि ५	सलेमपुर	श्री० आवि ५
11.	इंदु शर्मा	सलेमपुर	इंदु शर्मा
12.	अनिल शर्मा	सलेमपुर	अनिल शर्मा 9983453622

13.	अद्वान	सलेमपुर	अद्वान
14.	जेद खान	सलेमपुर	जेद खान
15.	रहीम माई लाला	सलेमपुर	रहीम माई लाला
16.	जाकिर खान	सलेमपुर	जाकिर खान
17.	शमशाद	सलेमपुर	शमशाद
18.	सादर रत खान	सलेमपुर	रहीम माई
19.	अनीस का री	सलेमपुर	अनीस का री
20.	अनीस	सलेमपुर	अनीस
21.	मो. सलीम	सलेमपुर	मो. सलीम
22.	मो. दुबैला	सलेमपुर	मो. दुबैला
23.	अनीस	सलेमपुर	अनीस
24.	अनीस	सलेमपुर	अनीस
25.	अनीस	सलेमपुर	अनीस
26.	मो. शाहिद	सलेमपुर	मो. शाहिद
27.	राजेश मीन	सलेमपुर	राजेश मीन
28.	रामवीर	सलेमपुर	रामवीर
29.	Chintu	अनीस	अनीस
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			



गुदाचंद्रजी. मालूपाड़ा गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम में मौजूद लोग।

गुदाचंद्रजी. जल संरक्षण की जागरूकता के लिए प्रदेशभर में चल रहे वंदे गंगाजल अभियान के तहत तिमावा पंचायत के मालूपाड़ा गांव में गुरुवार को फार्म पौण्ड व पाइपलाइन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दो दर्जन से भी अधिक महिला पुरुष किसानों ने भाग लिया। जिला कलक्टर करौली नीलाभ सक्सेना व कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीडी शर्मा के निदेशानुसार जिले में चल रहे जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषि अधिकारियों के साथ

किसानों ने पूजन किया। पंडित गोविंद प्रसाद शर्मा ने पूजन कराया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बलराम सिंह ने कहा कि अनुदानित फार्म पौण्डों से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर पूर्व सरपंच मुकेश मीना, सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद्रवाल, रंजीत सिंह राजपूत, रामजीलाल मीना, बृजभान सिंह, महेंद्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, राजेश गुर्जर, कृषि पर्यवेक्षक हरकेश गुर्जर, सुरज सिंह राजपूत, जलसिंह मीना, राजबाबू शर्मा, देवेन्द्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

की ओर से कोई सकारात्मक रुख अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिससे विद्युत योग प्रशिक्षक निराश है। जिलाध्यक्ष दिनेश मीना नांगलशेरपुर ने बताया कि का आयुर्वेद औषधालय पर लगे योग

वाहन की टक्कर से

गुदाचंद्रजी @ पत्रिका कस्बे के बोरिंग चौराहा स्थित पुलिया पर सड़क पार करते समय जरख की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई।

ग्रामीणों ने बताया कि एक जरख भागते हुए पुलिया को पार कर रहा



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल: rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक रा.प्र.नि.सं./क्ष.का./स.मा./करौली-1052/

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चैतन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी-मैसनरी स्टोन कलस्टर खनन परियोजना क्षेत्र-1.00 है. (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता-66903 टीपीए (आरओएम), कलस्टर क्षेत्र-13.1647 है। ग्राम सलेमपुर के पास, तहसील सपोटरा जिला के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (5) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (6) जिला उद्योगकेन्द्र, करौली। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 10.06.2025 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" ग्राम-सलेमपुर, तहसील-सपोटरा जिला-करौली में प्रातः 11:00 बजे निर्धारित की गयी थी जिसे कार्यालय जिला कलक्टर, करौली के पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रधान एवं उप-प्रधान का चुनाव नियत होने के कारण स्थगित कर 02 जुलाई 2025 को पूर्वोक्त स्थान व समय पर नियत की गयी है। अतः जन-सुनवाई हेतु "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" ग्राम-सलेमपुर, तहसील-सपोटरा जिला-करौली में दिनांक 02.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(बलजीत मीणा), क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर पश्चिम रेलवे

सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या: एस/2025/104

मण्डार विभाग ई-प्रोक्यारेमेंट के द्वारा

दिनांक: 12.06.2025

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, तृतीय तल, 3050 रेलवे प्रधान कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर, जयपुर-302017 निम्नलिखित मदों हेतु मोहरबंद खुली ई-निविदाएं www Ireps.gov.in में सभी खुली ई-निविदाएं 14:25 बजे बंद कर दी जायेंगी।

क्र.सं.	निविदा सं.	अल्प विवरण	मात्रा	यूनिट	खुलने की तिथि
1.					



राजस्थान कर्मचारी चयन

Rajasthan Staff Select

Website : www.rsmssb.raja

क्रमांक: प.8 (117)RSSB/प.आ/पशुधन सहायक सी.प्र.प. विज्ञ

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख 11.12.2024 के द्वारा पशुधन सहायक सीधी भर्ती-2024 एवं दिनांक 11.12.2024 के द्वारा सविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानु

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (Name of Examination)
1.	पशुधन सहायक सीधी भर्ती-2024
2.	सविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती-2024

परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र हेतु निर्देश :-

1. उक्त तालिका में अंकित परीक्षाओं के अभ्यर्थी परीक्षा के स्वयं की SSO ID से देख सके है। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों अभ्यर्थी पशुधन सहायक सीधी भर्ती-2024 परीक्षा सविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती-2024 परीक्षा हेतु प्र ID से यथारूप डाउनलोड कर ले। प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार हैं :-

1. Enter Url <https://recruitment.rajab>
2. Click on Get Admit Card Option.
3. Click on Get Admit Card Option of R
4. Enter Your Application number and

परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश :-

2. आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की रखते हैं।
3. रेल/ बस की छत या पायदान पर बैठकर/ खड़े होकर या रेल/ अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर
4. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 आध समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ स परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परी का विशेष ध्यान रखें।
5. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म ति पैनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 cm x 2 Merge, Morphed एवं Tempered किए फोटोग्राफ की साफ्टवेयर से जांच की जावेगी। प आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर स्वीकृत नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र पर एजेंसी (Agency/Biomatrics Device) से Face

प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें उनके निस्तारण के संबंध में की कार्यवाही की सूचना को शीघ्रता भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित जिला कलक्टर ने प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कि वे आमजन की परिवेदनाओं संवेदनशीलता के साथ नियमित रूप मुने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते उनका त्वरित निस्तारण कर वादियों को राहत दिलाएँ। प्रकारीगण यह भी सुनिश्चित करें कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की 11मी जनसुनवाई में पुनरावृत्ति न हो। सुनवाई के दौरान कुल 22 परिवाद हुए जिनमें अतिक्रमण हटवाने, ली की समस्या का निपटारा करने, जल व्यवस्था करवाने।

अभियान ले रहा जन आंदोलन का स्वरूप

ला (निसं.) जिला कलेक्टर ने या कि गुरुवार को जिले में वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान पखवाडे के। कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। ने बताया कि कार्यक्रम मे कृषि एवं न विभाग द्वारा स्पिकलर, ड्रिप, पौण्ड, पाईप लाईन की स्वीकृती करना, डीबीटी के माध्यम से राशि करना, प्राकृतिक, जैविक, जेन खेती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर िाला एवं प्रदानी, स्वीकृत कार्यों अवलोकन एवं नये कार्यों की कृतियां, हरियालो राजस्थान र्गत पौधारोपण कार्यों की अठाम री, कम्पोस्टिंग तकनीक का प्रचार करना, लघु सिंचाई संयंत्रों की नी, प्रगतिशील कृषकों से चर्चा, गान चैपाल, कृषि विज्ञान केन्द्रों पर छी एवं कृषि शिक्षा कार्यगाला, गयों की साफ-सफाई आदि कार्य गये। इसके साथ ही स्वायत्त शासन ाग द्वारा जल स्रोतों की साफ-सफाई मरम्मत, जल स्रोतों आदी।

के तहत बाघिन टी-84 एरोहेड के मेल शावक को कैलादेवी बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है। देर रात को की गई इस शिफ्टिंग में शावक को एक विशेष एक्लोजर में रखा गया है।

प्रकाश गुरुपुरब मनाया गया

कोटा, (निसं)। सिखों के छठे सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिबजी का प्रकाश गुरुपुरब बाबा तारा सिंह गुरमत विद्यालय गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब बड़ागांव कोटा में मनाया गया। कार्यक्रम में हजुरी रागी भाई परविंदर सिंह के रागी जलथे ने गुरबाणी का कीर्तन करते हुए 'पंच प्याले पंच पीर छठम पीर बैठा गुर भारी', 'सतगुरु साचौ दीया भेज' आदि शब्दों का गायन किया। सिख धर्माचार्य ज्ञानी गुरनाम सिंह अंबालावी ने कथा का वाचन करते हुए कहा।

आम सूचना
मैं कि सुनेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री किशोरी श्याम गुप्ता आ करीब 56 साल निवासी सी-117, जवाहर नगर, मालपुरा कोटा हैं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी पुत्रवधु श्रीमती सोनल खड्गवाल पत्नी सनत गुप्ता मुझे व मेरी पत्नी कृष्णा गुप्ता पुत्र सनत गुप्ता व छोटे पुत्र और पुत्रवधु से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है तथा पुत्रवधु सोनल खड्गवाल के आचार विचार सही नहीं है तथा मुझे, अपने पति सनत गुप्ता व मेरे परिवारों को शारीरिक हानि पहुँचाने तथा बहुत कष्टों में पतलाने की धमकी देती है, सनत गुप्ता अपनी पत्नी के द्वारा हमारे प्रति बिगड़ कर पुत्रवधु व मेरे विरोध नहीं करता है तथा सोनल खड्गवाल 1 वर्ष से हमारा घर अपने पुत्र सनत गुप्ता सहित छोड़कर अपने माता-पिता के घर रह रही है अथवा भी सोनल खड्गवाल व उसके माता सनत प्रम खड्गवाल, पिता राजकुमार खड्गवाल मुझे व मेरी पत्नी व मेरे परिवार को परेशान करते हैं तथा मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं तथा शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुँचाने की धमकी देते हैं तथा धन की चाल करते हैं पर हवन 2025 को भी सोनल खड्गवाल और सनत गुप्ता मातृपैतृ करने की कोशिश कर रहे हैं पुत्रवधु गाली गलौज की, धमकी देती तथा मातृपैतृ करने की कोशिश की धन की मांग की। उनके द्वारा किए गए कृत्यों से मैं चुने रह रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी सम्पत्ति अथवा संपत्ति से अपने पुत्र सनत गुप्ता व उसकी पत्नी सोनल खड्गवाल व उनके पुत्र सनत गुप्ता को बेदखल करता हूँ। भविष्य में उनके द्वारा किया गया किसी भी कार्य के लिए मैं तथा मैं अन्य परिवारियों को जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मेरा व मेरे अन्य परिवारियों जनों का सोनल खड्गवाल, सनत गुप्ता, सनत गुप्ता से कोई संबंध व सौकर नहीं है। यह मैं अपने दोस्तों व मित्रों के साथ किसी भी प्रकार के लिखित दस्तावेज के साथ कर रहा हूँ।
सुनेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री किशोरी श्याम गुप्ता आ करीब 56 साल निवासी सी-117, जवाहर नगर, मालपुरा

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.)

क्रमांक:-रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./करोली-1052/367-370 दिनांक: 10.06.2025 पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स चैतन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी-मैसनरी स्टोन कलस्टर खनन परियोजना क्षेत्र-1.00 है: (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता-66903 टीपीए (आरओएम), कलस्टर क्षेत्र 13.1647 है। ग्राम सलेमपुर के पास, तहसील सपोटरा जिला के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

- (1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना-दुंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करोली। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, सवाई माधोपुर। (5) कार्यालय जिला परिषद, करोली। (6) जिला उद्योग केन्द्र, करोली। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, करोली।
- चूंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 10.06.2025 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" ग्राम-सलेमपुर, तहसील-सपोटरा जिला-करोली में प्रातः 11:00 बजे निर्धारित की गयी थी जिसे कार्यालय जिला कलक्टर, करोली के पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रधान एवं उप प्रधान का चुनाव नियत होने के कारण स्थगित कर 02 जुलाई, 2025 को पूर्वोक्त स्थान व समय पर नियत की गयी। अतः जन-सुनवाई हेतु "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" ग्राम-सलेमपुर, तहसील-सपोटरा जिला-करोली में दिनांक 02.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव-आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

बचदीय - (जलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

सुनिका
आवेदकों
रक्षित श्रेणी
के लिए
सकल वार्षिक

है :-

की सकल

ड में शिथिलता

वार्षिक आय रु

की सकल वार्षिक

नहीं होगी।

नों के आवेदकों की

सकल वार्षिक आय

सुत करना होगा।

प्रत्यु के समय सकल

पुत्र/पुत्री/पति

न/पति एवं आश्रित व

हैं।

हस्ताक्षर आवेद

मिणा करता/करती है

मेरे विरुद्ध भारतीय